अंचल अधिकारी का कार्यालय, तोपचाँची(धनबाद)

अभिलेख सं0 263(ii) / 2016–17

वाद का प्रकार – बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधि0 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कार्रवाई से संबंधित।

18/10/16

पदाधिकारी आदेश

झारखण्ड सरकार के ज्ञापक 2074 / रा0 दिनांक 12.05.2016 सहपठित श्री अनुज मुखर्जी निदेशक, भू–अर्जन– सह – विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या– 3 – खा0म0निति – 119 / 85 / 2308 / रा0 दिनांक 03.09.1985 एवं सह–पठित राजस्व विभागगीय परिपत्र संख्या – 914 / रा0 दिनांक 09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन मे गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियो की जाँच प्रारम्भ की गयी। जाँच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं प्र0अ0नि0 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :–

मौजा ......मालुद्दि...... थाना नं0 ....58.... खाता नं0 ....150....

प्लॉट नं0 ......83...... रकवा ......0.06...... एकड की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार(झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी II के जिल्द सं0 .... के पृष्ट संख्या ......478...... पर जमाबंदी रैयत ......राम विलास प्रसाद...... के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं प्र0अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरूद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं प्र0अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध कोड़कर बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू–खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण पृच्छा करें, कि क्यों नही उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाए।

अभिलख दिनांक ......5/11/16...... को उपस्थापित करे।

अंचल अधिकारी,
तोपचाँची

Scanned with CamScanner

.11.2020

अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक का प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त। नोटिस का तामिला प्राप्त। नोटिस के आलोक में किसी जमाबंदी रैयत या उनके वंशज द्वारा आपत्ति और ना ही राजस्व कागजात समर्पित करने हेतु समय का माँग किया गया है। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन में उल्लेखित है कि मौजा भाटुडीह मौजा नं0 58 खाता नं0 156 प्लॉट नं0 32 ... रकबा 0.06 एकड़ से संबंधित है, जो खतियान के अनुसार गैरमजरूआ खाते की भूमि है। जिसका पंजी II के जमाबंदी भोलुम नं0 .... के पृष्ट सं0 478 में रैयत राम विलास प्रसाद सा0 – भाटुडीह, तोपचाँची के नाम से कायम है। उपरोक्त जमाबंदी के प्रॉधिकार कॉलम में , बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के / अवैध लगान निर्धारण के आधार पर /सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्वेश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

उपरोक्त प्रतिवेदन के आलोक में स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि की विवरणी की सृजित जमाबंदी अवैध / संदिग्ध प्रतित होता है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे रद्द करने की अनुशंसा किया जाता है। साथ ही, अभिलेख की कार्रवाई को समाप्त .... किया जाता है। अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार, उप समाहर्ता, धनबाद को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

अंचल अधिकारी,
तोपचाँची।

अंचल अधिकारी,
तोपचाँची।

अचल अधिकारी का कार्यालय, तोपचाँची(धनबाद)

वाद अभिलेख सं0 263(ii)/2016-17 (अन्तर्गत धारा - 4(h), BLR Act, 1950)

सूचना

बनाम

राम विलास प्रसाद

पिता - स्व० लोचन प्रसाद

ग्राम - लालुडीह पो0 ....

थाना - .... जिला - धनबाद।

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा लालुडीह थाना नं0 58 खाता नं0 150 प्लॉट नं0 83 रकवा 0.06 एकड से संबंधित आपके नाम से हल्का नं0 II के पंजी II भाग .... के पृष्ठ 478 पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व कर्मचारी ने प्र0अचल निरीक्षक के माध्यम से जॉचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव, आप उक्त संबंध मे दिनांक 5/11/16 को समय 11.00 बजे पूर्वा0 में उक्त भूमि का रिटर्न –I, भूमिबंदोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदों, फार्म M एवं सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व रसीदों निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अघोहस्ताक्षरी के कार्यायल प्रकोष्ट मे उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध मे आपको कुछ नही कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यो के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध मे युक्ति–युक्त निर्णय लेतें हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकीद जानें।

तिथि - 18/10/16

स्थान - तोपचॉची

मुहर

अंचल अधिकारी का कार्यालय, तोपचाँची धनबाद

अंचल अधिकारी
तोपचॅची
18/10/16